<u>प्रधान जिला न्यायाधीश, बक्सर</u>

<u>इजराय वाद संख्या 33/2023</u>

सीआईएस संख्या 33/2023

श्रीराम फाईनेंस लि0 बनाम् राजधन राय वैगरह

दिनांक 10.04.2026 :–

डिक्रीदार अनुपस्थित है। उनके तरफ से कोई पैरवी नही की गई है।

वाद पुकार किया गया। वाद बार–बार पुकार किये जाने के बावजूद भी न तो डिक्रीदार उपस्थित हुआ और न ही उसकी तरफ से उसके विद्वान अधिवक्ता ही उपस्थित हुए।

अभिलेख का अवलोकन किया। अवलोकन से स्पष्ट होता है कि विगत कई तिथियों से लगातार निर्देशित किये जाने के बावजूद भी न तो डिक्रीदार और न ही उनके विद्वान अधिवक्ता सुनवाई हेतु उपस्थित हो रहे है। अभिलेख के अवलोकन से यह भी स्पष्ट होता है कि प्रस्तुत वाद में डिक्रीदार को सुनवाई हेतु दिनांक 19.03.2026 को अंतिम अवसर एवं दिनांक 02.04.2026 को अंतिम अवसर एवं चेतावनी दिया गया था। बावजूद आज डिक्रीदार पक्ष की तरफ से सुनवाई हेतु कोई उपस्थित नही हुआ। **प्रस्तुत वाद सन् 2023 का वाद है तथा इसके संबंध में माननीय उच्चत्तम न्यायालय द्वारा इजराय वाद के निष्पादन हेतु Periyammal (Dead Thr.Lrs) Vs Rajamani and Anr Etc. In Civil Appeal No. 3640-42/2025 में यह प्रतिपादित किया गया के निष्पादन वाद की कार्रवाई 6 माह में पूर्ण किया जाना आवश्यक है।**

अतः उपरोक्त परिस्थितियों एवं तथ्यों के आलोक में प्रस्तुत इजराय वाद को लम्बित रखना न्यायोचित प्रतीत नही होता है। फलस्वरूप प्रस्तुत वाद को **खारिज** किया जाता है।

कार्यालय नियमानुकूल अभिलेख अभिलेखागार में जमा करें।

लेखापित
ह0/–
प्रधान जिला न्यायाधीश
बक्सर
दिनांक 10.04.2026